भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2664

02 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोत्साहन और उपयोग

2664. श्री कनकमल कटारा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आदिवासी बहुल आबादी वाले बांसवाड़ा-डुंगरपुर संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों से कीमतें कम करने पर जोर दे रही है और यदि हां, तो उन बिंदुओं के संबंध में ब्यौरा क्या है जिन पर बातचीत हुई थी; और;

(ग) क्या सरकार का टाटा नैनो कार की भांति कम कीमत पर इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने अथवा कोई विशेष छूट प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग) : महोदय, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2015 में भारत में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम अखिल भारतीय आधार पर (जिसमें राजस्थान, बांसवाड़ा - दुर्गापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल है) शुरू की जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और वाहनों से कार्बन उत्सर्जन के मुद्दों का समाधान करना है। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण- II को 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से लागू किया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता पर बल दिया जा रहा है और इसका लक्ष्य सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज संबंधी चिंता को दूर करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण हेतु भी सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकारण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत 11 जून, 2021 से इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन को वाहन लागत सीमा के 20% से बढ़ाकर 40% करते हुए 10,000 रुपये/ किलोवाट घंटे से 15,000 रुपये/किलोवाट घंटे कर दिया गया है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आईसीई दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।

ii. देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. ऑटोमोबिल और प्रोत्साहन ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध (पीएलआई) स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है जिसे 15 सितंबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

****